राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय
की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)

"बी" बिंग, छठा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली – 110003

File No : - Review/24/JH(Dist- Godda)/2024-Coord.

दिनांक 16 जुलाई, 2024 को झारखंड राज्य के गोड्डा जिले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा द्वारा किए गए दौरे की समीक्षा रिपोर्ट।

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
/New Delhi

आयोग के दौरे के दौरान आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारी आयोग की माननीया सदस्य(डॉ आशा लकड़ा) के साथ उपस्थित रहे :-

क्र. स.	नाम	पद
1.	श्री एच.आर.मीना	अनुसंधान अधिकारी
2.	श्री कुशेश्वर साहू	माननीया सदस्य के निजी सचिव
3.	श्री राहुल	अन्वेषक
4.	श्री राहुल यादव	विधिक सलाहकार

दिनांक 16 जुलाई, 2024 को झारखंड राज्य के गोड्डा जिले मे छात्रावासों का दौरा,अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के साथ बैठक और गोड्डा जिले की समीक्षा बैठक आहूत की गई |

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो देश में अनुसूचित जनजाति के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित सभी मामलों की अन्वेषण और निगरानी करता है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर आयोग से परामर्श करेगा। आयोग को भारत के माननीय राष्ट्रपति को उन सुरक्षणों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है और ऐसी सभी रिपोर्ट संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई और ऐसी सिफारिशों के अस्वीकार करने के कारणों, यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने होते हैं।

1: आदिवासी कल्याण छात्रावास , गोड्डा कॉलेज ,जिला गोड्डा |

सुबह 10.00 बजे आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा ने छात्रावास का दौरा किया जिस दौरे की शुरुवात मे सबसे पहले माननीया सदस्य छात्राओं से मिली और उनके साथ पूरे छात्रावास का दौरा किया | छात्रावास का नाम **आदिवासी कल्याण छात्रावास , गोड्डा कॉलेज,** है |

डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्य ने वहां छात्राओं को अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बताया कि एनसीएसटी अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है।

1. **छात्रावास न. 1**: छात्रों की संख्या बेड्स की तुलना में अधिक है, जिससे अत्यधिक भीड़भाड़ है। केवल एक कॉमन रूम में 125 छात्र रहते हैं, जो कि स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों के लिए अनुपयुक्त है।

2. **छात्रावास न. 2**: होटल की बिल्डिंग बहुत पुरानी और जर्जर हालत में है, जो कि छात्रों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इस होटल में केवल 2 कमरे हैं |

3. **छात्रावास न. 3**: 60 बेड्स होने के बावजूद, यहां 100 छात्र रह रहे हैं, जिससे अधिक भीड़भाड़ की समस्या उत्पन्न हो रही है। छात्रों के लिए पर्याप्त सुविधाओं का अभाव होना।

4. **छात्रावास न. 4**: हां 100 बेड्स हैं, जबकि 145 दाखिले हो चुके हैं, जिससे अत्यधिक भीड़भाड़ और असुविधा उत्पन्न हो रही है।

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

सभी छात्रावासो में वर्तमान में कोई वार्डन नहीं है, जिससे अनुशासन और सुरक्षा की समस्या है। वॉशरूम की स्थिति अत्यधिक खराब है, जो कि छात्रों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। रूम्स में पंखों का अभाव है, जिससे छात्र छात्राओं को गर्मी और असुविधा का सामना करना पड़ता है। लाइब्रेरी में किताबों का अभाव है, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर नकारात्मक असर पड़ता है। छात्रों को अपने खाने के लिए स्वयं 200 रुपये इकट्ठा करने पड़ते हैं, जो कि एक असुविधाजनक और अनुचित व्यवस्था है।

2 : आदिवासी महिला कल्याण छात्रावास , गोड्डा ,जिला गोड्डा |

सुबह 11.00 बजे आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा ने छात्रावास का दौरा किया जिसके शुरुवात मे सबसे पहले माननीया सदस्य छात्राओं से मिली और उनके साथ पूरे छात्रावास का दौरा किया | छात्रावास का नाम **आदिवासी महिला कल्याण छात्रावास , गोड्डा,** है |

डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य ने वहां छात्राओं को अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बताया कि एनसीएसटी अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है।

- **छात्रवास संख्या 1 :-** में 120 शय्या हैं, लेकिन 300 से अधिक छात्र रह रहे हैं।
- **छात्रवास संख्या 2 :-** में लगभग 80 शय्या हैं, लेकिन 150 से अधिक छात्र रह रहे हैं।

दोनों छात्रावासों में पीने के पानी, बिजली, पंखे, बेड्स , गद्दा , एलसीडी टी.वी.(सामचार दर्शन के लिए), अध्ययन सामग्री और शोचालयों में सफाई की कमी है, जो छात्रों के लिए कठिनाइयाँ पैदा कर रही हैं। साथ ही, दोनों छात्रावासों में पुस्तकालय की भी आवश्यकता है ताकि छात्रों को अध्ययन के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो सकें।

3 :अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थाना, गोड्डा ,जिला गोड्डा |

सुबह 11.30 बजे आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा ने **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थाना, गोड्डा** का दौरा किया दौरे के दौरान पाया गया कि थाने में संबंधित ड्यूटी ऑफिसर मौके पर मौजूद नहीं थे। आयोग ने देखा कि ड्यूटी रजिस्टर और शिकायत पंजिका में पिछले 4-5 महीनों से किसी भी प्रकार का विवरण अंकित नहीं किया गया था। पूछे जाने पर उपस्थित पदाधिकारी ने कोई उचित उत्तर नहीं दिया। तथा न ही थाने का पृथक परिसर था

4 : अनुसूचित जनजाति समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ सर्किट हाउस गोड्डा ,जिला गोड्डा मे बैठक |

अनुसूचित जनजाति के समुदायों को प्रभावित करने वाले कई गंभीर मुद्दों की पहचान की गई जो निम्नानुसार है-

1. **<u>राजनीतिक लाभ एवं भूमि बिक्री</u> :-** गैर-अनुसूचित जनजाति के लोगो द्वारा अनुसूचित जनजाति की लड़कियों से विवाह कर उनके नाम से भूमि खरीद कर दुरुपयोग और अन्य राजनीति लोभों को प्राप्त कर अनुसूचित जनजाति के लोगों अधिकारों का हनन किया जा रहा हैं।
2. **ग्रामीण क्षेत्रो मे सड़कों का अभाव :**सुंदर पहाड़िया गाँव मे सड़क नही है , सुंदर पहाड़ी प्रखण्ड-कैसोना पंचायत तिलमिट्टी गाँव में रास्ता नहीं है ऐसे कोई गाँव है जिनमे रोड नही है ऐसे सभी गाँव में सड़को का

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

निर्माण जल्द से जल्द करवाया जा सकता | (सुसनी गाँव 25 km रोड, डमरूहाट-20 km, डंगापड़ा-30 km तक रोड नहीं है और सिंदरी जोलों पहाड़ में कोई रोड नहीं है।)

3. **केंद्र सरकार आवासीय योजना की सेवा प्रदान करना:** ग्राम झिलुवा में कई अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आवास नहीं मिला है केंद्र सरकार की आवासीय योजना की सेवा प्रदान की जानी चाहिए है।
4. **बालिकाओं एवम बालको के लिए जनजातीय कल्याण छात्रावासों का प्रबंधन :** बालिकाओं एवम बालको के लिए जनजातीय कल्याण छात्रावासों के प्रबंधन से संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डाला गया उन पर उचित कार्रवाई कर आयोग को सूचित करें।
5. **सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की समय की पाबंदी और उपस्थिति:** सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की समय की पाबंदी और उपस्थिति को चिंता के विषय के रूप में पहचाना गया है। शिक्षा विभाग को उपस्थिति नीतियों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी प्रणाली लागू करने पर विचार करना चाहिए कि शिक्षक उपस्थित हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। इससे छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी। **कैसोना तिलमिट्टी पंचायत में एक अध्यापक है जो केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही विधायल जाते है ऐसे विद्यालयों का चयन किया जाये जिनमे केवल एक अध्यापक है और इन सब विद्यालयों में जल्द से जल्द अध्यापको की नियुक्ति की जाए |**
6. **अनुसूचित जनजाति की प्रवासी महिला का पंजीकरण और सुरक्षा:** अन्य जिलों में काम करने वाली अनुसूचित जनजाति की प्रवासी महिला के लिए उचित पंजीकरण और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर चर्चा की गई। प्रशासन को इन व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक पंजीकरण प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए और सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापित करना चाहिए। प्रवासी श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य जिलों और संबंधित एजेंसियों के साथ आपसी सहयोग व् तालमेल आवश्यक है। **सुन्दर पहाड़ी, गाँव – जोलो पहाड़ से तीन अनुसूचित जनजाति की बालिका लापता है उनका लापता हुए 12 वर्ष हो गए कोई पता नही है |**
7. **अन्य :** पेंशन से सम्बंधित कई समस्या सामने आई है शांति माल पहाड़ीन, पति - रामलाल माल पहाड़िय, चम्पा माल पहाड़िया, रामलाल पहाड़िया, कार्तिक देहरी, रानी पहाड़ियन और पंचायत झिलुवा से ओर भी कई लोगो से समान विषय पर शिकायत आयोग को प्राप्त हुई | पेयजल से सम्बंधित चापानल एवं पीने के पानी की टंकी के संबध में बंधना माल पहाड़िया, लक्ष्मी चक्रवर्ती एवं अन्य कई लोगो से शिकायत प्राप्त हुई | ECL द्वारा विस्थापित गाँव बड़ा सिम्डा , प्रखण्ड बोआरिजोर से सम्बंधित है यहां के लोगो को आज भी पुरनी पंचायत से ही सभी दस्तावेजों का काम करना पड़ता है जिससे उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है | आज भी कई गाँव में आगनबाडी नहीं है | गोड्डा जिले में युवाओ में खेल के प्रति काफ़ी रूचि देखी जाती है पर प्रशासन से उनको कोई मदद नही मिल रही है | ECL द्वारा विस्थापित 7 गाँव है जिनका

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

आजतक पुनर्वास नही हुआ है, गाँव मोर्चा और कसामु में पीने का पानी तथा सड़क नही है तथा साथ ही यह भी देखा गया है की गोड्डा जिले में बच्चो की मृत्यु दर भी अधिक है

4 . अनुसूचित जनजाति के लिए विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए साहिबगंज जिला प्रशासन के उपायुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ दिनांक 15.07.2024 को डॉ. आशा लाकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के द्वारा एक बैठक की गई।

आरंभ में उपायुक्त ने डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, श्री एच.आर.मीना,अनुसंधान अधिकारी , एनसीएसटी, श्री राहुल, अन्वेषक, एव श्री राहुल यादव विधिक सलाहकार एन.सी.एस.टी का स्वागत किया। इसके बाद,विभाग-वार आधार पर चर्चा आयोजित की गई। उपस्थित प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी ने डॉ. आशा लाकड़ा, माननीय सदस्य, एनसीएसटी को अपना परिचय दिया। इन परिचयों के बाद आयोग ने गोड्डा जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा प्रशासित विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का गहन समीक्षा किया। इस समीक्षा का उद्देश्य इन योजनाओं की प्रभावशीलता, पहुंच और प्रभाव का मूल्यांकन कर यह सुनिश्चित करना था कि वे यें वांछित उद्देश्यों को पूरा करें और जिले में अनुसूचित जनजातियों की वांछित उद्देश्यों और जरूरतों को पूरा करें। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है।

गोड्डा जिला प्रशासन समीक्षा बैठक में माननीया सदस्य की अध्यक्षता में उपस्थित जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पदाधिकारी

अवलोकन और अनुशंशाए -

साहिबगंज जिले के उपायुक्त को 57 प्रश्नों वाली एक प्रश्नावली भेजी गई थी, जिसमें जनसांख्यिकी, साक्षरता, स्वास्थ्य, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन आदि जैसे विभिन्न विषय को शामिल किया गया था। जिला प्रशासन ने इस

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

प्रश्नावली के उत्तर प्रदान किए। निम्नलिखित टिप्पणियाँ और अनुशंशाए जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑन-साइट तथ्यों और आंकड़ों के साथ-साथ इन प्रतिक्रियाओं पर आधारित हैं।

1. **शिक्षा विभाग**: सभी संकुल में व्यवस्था ठीक करने, बच्चों के कौशल विकास हेतु वाद-विवाद, Orientation Program कराने, बच्चों का ड्रॉपआउट रोकने (उनसे संबंधित प्रमाणित आंकड़े आयोग को प्रस्तुत करें), खेलकूद का आयोजन कराने, प्रखंड स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देने, अवस्थित विद्यालय भवन को ठीक कराने एवं नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रत्येक 5 कि.मी. की दूरी में 01 उच्च विद्यालय का प्रस्ताव विभाग को भेजने तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कितने प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च विद्यालय संचालित हैं एवं उनमें कार्यरत नियमित/अनियमित शिक्षकों में कितने अनुसूचित जनजाति के शिक्षक हैं से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया जाए।
2. **आपूर्ति विभाग**:

2.1 जन वितरण प्रणाली की कुल कितनी दुकान आवंटित है और अनुसूचित जनजाति को कितनी मिली है ? ,जिसमे समिति को कितनी एवं व्यक्तिगत दुकानं कितनी आवंटित किया गया है आकड़े आयोग को उपलब्ध कराये | जिले में कितने MO है कितने प्रखण्ड में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचल अधिकारी ही प्रभार में है | अपने – अपने क्षेत्र में गरीब परिवारों को लाल कार्ड / अन्तोदय कार्ड का भी लाभ देने के लिए प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किए जाए |

2.2 जन वितरण प्रणाली के दुकानों में राशन का वितरण ऑनलाइन के माध्यम से किया जा रहा है। कई ग्रामों में बिजली-सड़क की सुविधा नहीं है एवं अभी बरसात का समय आने वाला है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन के माध्यम से राशन का वितरण करने में कठिनाई होगी। अतः वर्तमान में 03 माह की अवधि तक सभी संबंधित कार्डधारियों को राशन का वितरण ऑफलाइन के माध्यम से करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिन क्षेत्रों में जन वितरण प्रणाली के दुकानों में राशन की आपूर्ति हो रही है या नहीं, इसकी स्थलीय जाँच करें।

2.3 सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों में अच्छी व्यवस्था बनाने हेतु सूचित करने तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी जन वितरण प्रणाली के दुकानों में राशन वितरण की स्थलीय जाँच एवं ऐसे स्थलों जहाँ राशन उठाव करने हेतु 04 – 05 किलोमीटर से अधिक दुरी तय करना पड़ता है को चिन्हित करते हुए प्रस्ताव बना कर विभाग को भेजें आयोग को भी सूचित करे और राशन वितरण में होने वाली समस्या का निराकरण कराना सुनिश्चित करें।

3. **जिला समाज कल्याण विभाग :** गोड्डा जिले में पर्यवेक्षक कुल 29 संख्या में है और आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या कुल 1791 जिले के संबधित विभाग द्वारा बताया गया | कुल आंगनबाड़ी केंद्रों में से कितने अपने भवन हैं और कितने किराये पर चल रहे हैं, यह स्पष्ट करते हुए गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं, और बच्चों को वितरित पोषाहार की जानकारी दें। ऐसे गांव और बस्तियां चिन्हित करें जहां आंगनबाड़ी केंद्र नहीं हैं और 30-35 परिवार रहते हैं। जिले में सेविका-सहायिका की संख्या, अनुसूचित जनजाति की सेविका-सहायिका का विवरण, और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करें। उच्च शिक्षाधारी प्रतिभागियों को प्राथमिकता दें और आंगनबाड़ी केंद्रों को Play School के रूप में विकसित करें। कुपोषित बच्चों के लिए प्रखंड मुख्यालयों में शिविर लगाएं और Healthy Baby कार्यक्रम आयोजित करें। सावित्री बाई फुले समृद्धि योजना के तहत शत-प्रतिशत योग्य लाभार्थियों को अच्छादित कर आयोग को सूचित करें।
4. **कल्याण विभाग : 4.1** कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा आकड़े आयोग को उपलब्ध कराये जाए, और 2023-24 के लिए साइकिल वितरण कितना किया गया है। छात्रावासो और अन्य में मूलभूत सुविधाओं की कमियों को देखते हुए, समय-समय पर निरीक्षण और सुधार करें और जिनमे छात्रावास की क्षमता से अधिक छात्र एवं छात्राएं रहती है इनकी क्षमताओं में बढोत्तरी की जा सकती है । कल्याण विभाग द्वारा जिले में नए छात्रावास G+5 के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे और आयोग को भी सूचित करें |

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

4.2 धुमकुड़िया के संबंध में विस्तृत जानकारी आयोग को उपलब्ध कराये । भविष्य की योजनाओं में पानी, शौचालय, रसोई और भंडारण की व्यवस्था शामिल करें ।आवास योजनाओं जैसे बिरसा आवास, अम्बेडकर आवास और प्रधानमंत्री आवास का दोहरा लाभ किसी भी लाभर्थी को ना मिले | दोहरीकरण से बचने के लिए मार्गदर्शिका के अनुसार आवंटन सुनिश्चित करें | जिन गांव में कोई श्मशान घाट नहीं है श्मशान घाट के कारण लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पढ़ता है इसलिए शमशान घाट का निर्माण किया जाये |

5. **पुलिस विभाग : 5.1** पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज से जिले के 18 थानों की जानकारी प्राप्त की, जिसमें 1 एस०टी०/एस०सी० थाना शामिल हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि हर थाना में एस०टी०/एस०सी० संबंधित मामलों की प्राथमिकता और आसानी से प्राथमिकी दर्ज की जाए और केस स्थानांतरित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

   5.2 तस्करी और पलायन के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए उपाय सुझाए और पलायन करने वालों का पंजीकरण अनिवार्य करें | मानव तस्करी, पशु तस्करी और अवैध परिवहन द्वारा बालू मिट्टी की तस्करी के मामलों पर भी ध्यान दे |

   5.3 एस०टी०/एस०सी० के लिए आतंरिक शिकायत सेल के गठन करें और अनुसूचित जनजाति के पुलिस पदाधिकारी को इसमें शामिल करें।

   5.5 जिला पुलिस अधीक्षक, महिला एवं पुरुष छात्रावास की सुरक्षा हेतु दो-दो गार्ड उपलब्ध कराये।

6. **कृषि विभाग** :- जिला कृषि पदाधिकारी, साहेबगंज को अनुदानित ट्रैक्टर, पम्प सेट, बीज, और अन्य योजनाओं का समय पर और योग्य लाभुकों को वितरण सुनिश्चित करें | कृषि चास भूमि की उपलब्धता कितनी हेक्टेयर है आयोग को बताये और कितने किसानो को मित्र योजना में कार्यरत हैं। के०सी०सी० ऋण के लिए जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को किसानों के साथ बैठक कर ऋण उपलब्ध करें |

7. **पथ निर्माण विभाग:** उपरोक्त गाँव, पंचायत एवं प्रखण्डो में कई जगह में सड़क की कमी है। इन क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए प्राक्कलन तैयार करें और साथ ही, पहाड़ों और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण और पुल निर्माण की आवश्यकता पर भी बल दिया जाए। इन परियोजनाओं को प्राक्कलन विभाग में भेजकर आयोग को सूचित करें ।

8. **स्वास्थ्य विभाग** :- सदर अस्पताल, गोड्डा की ओ.पी.डी. रोस्टरवार बना कर स्थानीय दैनिक अख़बार में प्रकाशित करें जिससे दूर से आने वाले लोगों अस्पताल में उपलब्ध डॉक्टर और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी होगी और कुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए माह में दो शिविर का आयोजन करा सकते है |

9. **सहकारिता विभाग** :- विभाग किसानो के साथ समन्वय स्थापित कर जल्द – जल्द दलहन बीज आपूर्ति करना सुनिश्चित करेगें |

10. **वन विभाग : -** पहाड / जंगल में रहने वाले भूमिहीन परिवार / व्यक्ति को 300 Sq Feet भूमि हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत कराये जा सकते है ताकि पहाड/जंगल में आवासित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास, अबुआ आवास, अम्बेडकर आवास, बिरसा मुण्डा आवास योजना का लाभ मिल सकें। पहाड़ पर वन भूमि जो समतल हो ऐसी भूमि को जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर, खेल मैदान में परिवर्तित करें और पहाड़ में रहने वाले युवाओं को खेल से जोड़े। वन अधिकार कानून, तथा वन विभाग से आदिवासी समाज को किन-किन योजना से लाभान्वित किया जा सकता हैं, के संबंध में जानकारी आयोग को प्रदान करें | योजनाबद्ध तरीके से अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु मुहिम चलाना सुनिश्चित करें।

11. **श्रम नियोजन :-** जिले में कुल कितने श्रमिक पंजीकृत है आयोग को कुल पंजीकृत श्रमिक में अनुसूचित जनजाति के कितना श्रमिक, उसमें महिला/पुरुष कितना पंजीकृत है। साथ ही संगठित / असंगठित, कुशल / अर्द्धकुशल श्रमिक के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराये। साथ ही नगर निकाय के श्रमिकों को संगठित

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

ग्रुप में पंजीकृत करने तथा प्रत्येक प्रखण्ड़ में शिविर लगाकर श्रमिकों को कोटिवार पंजीकृत करना सुनिश्चित करेंगे।

12. **मंडल कारागृह :-** कुल कैदियों की संख्या सहित आयोग को अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला कैदियों की संख्या उपलब्ध कराये | मंडल कारा में कैदियों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
13. **मनरेगा :-** जॉब कार्ड, बुर्जुग, महिला, अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति की महिला, गर्भवती महिला का पृथक-पृथक आंकडा आयोग को उपलब्ध कराये। माननीया सदस्य के द्वारा जिले में संचालित योजना यथा आवास निर्माण कार्य, तालाब निर्माण, नल-जल योजना, पार्ट कूप निर्माण का प्रखण्डवार विवरणी आयोग को उपलब्ध कराये ।
14. जिला स्तर पर भी एक **आतंरिक शिकायत सेल (Internal Grievance Cell)** गठन करते हुए अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी / सहायक की प्रतिनियुक्ति करें, और छोटे-मोटे शिकायत जिला स्तर पर ही निष्पादित किया जा सकें, ऐसे मामले आयोग के पास न पहुँचे, संज्ञान में न आयें, ध्यान रखने की आवश्यकता हैं।

जिला प्रशासन के सभी विभागों के अपने संबंधित पंचायतों और ब्लॉकों से अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लाभार्थियों की स्पष्टता से पहचान करते हुए विस्तृत श्रेणीबद्ध डेटा का रख-रखाव करने की सलाह दी जाती है। आयोग ने इन मुद्दों के त्वरित और प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा गोड्डा जिला प्रशासन से सिफारिशों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

21/09/2024

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

File No. Review/24/JH(Dist-Godda)/2024-Coord. (Computer No. 24574)
Generated from eOffice by Rahul, INVESTIGATOR-ESDW, INVESTIGATOR, O/o Chairperson-NCST on 21/01/2025 05:10 pm